न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 159 / 17
निर्णय दिनांक: 08.06.2018

1. खाजु खां पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान नि0 पाल की ढाणी भरतोलाव नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादी

<u>वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 136 आराजी खं0नं0 4354 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व खाता सं0 137 खं0नं0 4353 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 4360 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है जो वाकै ग्राम नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी अपने हिस्सें पर काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग करते है। पेरा नं0 1 में वर्णित आराजीयात को वादी को अपना हिस्सा अपने पिता अकबर खां की विरासत में प्राप्त हुआ है अपने पिता की आराजीयात का फौती नामान्तकरण खुलते समय वादी को बचपन से लाड़ प्यार से पप्पू के नाम पुकारते है इसलिए वरवक्त फौती नामान्तकरण राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम पप्पू पुत्र अकबर खां अंकित हो यगा है जो सहवन गलत अंकित हो गया जो लिपिकीय त्रुटि वंश गलत दर्ज हुआ है वादी नाम खाजु खां पुत्र अकबर खां है राजस्व रिकोर्ड में वादी पप्पू पुत्र अकबर खां गलत दर्ज हो रखा है वादी के समस्त राजकीय दस्तावेज में वादी का नाम खाजू पुत्र अकबी खां दर्ज है जो सही है परन्तु लिपिकीय त्रुटि वंश राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम पप्पू गलत दर्ज हो गया है। पेरा सं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम पप्पू पुत्र अकबर खां दर्ज है जो गलत दर्ज है सहवन से गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का नाम खाजू खां पुत्र अकबर खां है तथा समस्त सरकार दस्तावेज में खाजू खां पुत्र अकबर खां ही दर्ज है राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम पप्पू पुत्र अकबर खां गलत दर्ज होने से वादी का अपनी खातेदारी की भूमि को विकसित करने के लिए ऋण इत्यादि लेने में तथा जमीन को विकसित करने में तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि प्राप्त करने में असुविधा हो रही है इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित खातेदारी पप्पू पुत्र अकबर खां को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर खाजू खां पुत्र अकबर खां दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसलिए यह वाद

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड का वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र नरायना पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित है प्रतिवादी की तरफ से जवाब दावा एवं नामान्तकरण की नकल पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। मजमेंआम में सुना गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी, फोटो कॉपी आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड की प्रतिया पेश किये है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 136 आराजी खं0नं0 4354 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व खाता सं0 137 खं0नं0 4353 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 4360 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है जो वाकै ग्राम नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी खातेदार पप्पु पुत्र अकबर खां कौम मुसलमान के स्थान पर खाजू खां पुत्र अकबर खां कौम मुसलमान दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प नरायना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

खाजू खां बनाम राज० सरकार

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 159/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मीकांत दाधीच व हाजरी ... . मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 136 आराजी खं0नं0 4354 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व खाता सं0 137 खं0नं0 4353 रकबा 6 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 4360 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है जो वाकै ग्राम नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी खातेदार पप्पु पुत्र अकबर खां कौम मुसलमान के स्थान पर खाजू खां पुत्र अकबर खां कौम मुसलमान दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज .... मुबलिग.................................. .... बाबत्.................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................... ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत..........
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner